


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)

दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwa

(A Central University Established under the Central Universities Act, 1956)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक ०९ /बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०२०

बिलासपुर दिनांक : 17/02/2020

॥ अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 288/बै.प्र./2018 बिलासपुर दिनांक 30.10.2018, क्रमांक 310/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2018 दिनांक 07.12.2018, क्रमांक 13/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019 दिनांक 20.02.2019, क्रमांक 57/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2019 दिनांक 06.06.2019, क्र.196/बै.प्र./विद्यापरिषद्/19 दिनांक 23.12.2019 एवं क्रमांक 206/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2020 दिनांक 17.01.2020 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 13 (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् में निम्नानुसार सदस्य का नामांकन किया जाता है : -

1. 13(1)(iv) शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष

- 1) इतिहास - प्रो० प्रवीन कुमार मिश्रा, आचार्य
- 2) रसायन शास्त्र - प्रो० तन्मय कुमार घोरई, आचार्य
- 3) वाणिज्य - प्रो० अशोक कुमार मिश्रा, आचार्य
- 4) प्राणीशास्त्र - डॉ० मोनिका भदौरिया, सह-आचार्य के स्थान पर प्रो० एल.की.के.एस. भास्कर, आचार्य
- 5) हिन्दी - प्रो० डी.एन. सिंह, आचार्य
- 6) मैकेनिकल इंजीनियरिंग - डॉ० राजेश कुमार भूषण, सह-आचार्य के स्थान पर प्रो० टी.की. अर्जुनन, आचार्य
- 7) कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग - डॉ० आलोक कुमार कुशवाहा, सह-आचार्य

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल पदेन पद के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 10 /बै.प्र./विद्यापरिषद्/२०२०
प्रतिलिपि -

बिलासपुर दिनांक : 17/02/2020

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. माननीय कुलपति महोदया के सचिव को कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
03. संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
05. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)